

कार्यालय जिला अधिकारी-जिला विदिषा  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, लोक निर्माण विभाग, विदिषा  
सूचना का अधिकार अधिनियम 2008 की धारा 4 के अंतर्गत 17 बिन्दुओं की जानकारी

1.	संगठन की विषिष्टिया कृत्य और कर्तव्य	जिले अंतर्गत समस्त विभागों के रू. 25.00 लाख लागत या अधिक के नवीन भवनों का निर्माणकार्य।
2.	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तिया और कर्तव्य	संभागीय परियोजना यंत्री-जिला स्तर पर परियोजना यंत्री- तहसील एवं ब्लाक स्तर पर (कार्य विभाजन आधारित) सहायक परियोजना यंत्री- तहसील एवं ब्लाक स्तर पर (कार्य विभाजन आधारित)
3.	विनिश्चय करने की प्रक्रिया मंे पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	संभागीय परियोजना यंत्री-जिला स्तर पर लोक सूचना अधिकारी परियोजना यंत्री -सहायक लोक सूचना अधिकारी
4.	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	निरंक (केवल शासन द्वारा निर्धारित मापमान)
5.	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख	जी, नहीं (शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश, म.प्र. कर्मचारी आचार संहिता में वर्णित अनुदेश, आई.आर.सी. (भारतीय रोड/भवन कांग्रेस) के मापदंड एवं विषिष्टिकरण अनुसार भवन कार्य।)
6.	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणधीन है। प्रवर्गों का विवरण	जिले के अंतर्गत परियोजना यंत्री/सहायक परियोजना यंत्री/कार्यालयीन स्टाँफ की गोपनीय चरित्रवली एवं उनके समस्त प्रकरणों का निराकरण एवं सेवा पुस्तिका का संधारण एवं निर्माणकार्यों से संबंधित समस्त दस्तावेज ।
7-	किसी व्यवस्था की विषिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरसचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्ष के लिये या उनके अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।	परियोजना यंत्री एवं सहायक परियोजना यंत्री के विरूद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी (अतिरिक्त परियोजना संचालक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, लोक निर्माण विभाग, भोपाल)

8.	ऐसे बोर्डों, परिषदों समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बार में कि क्या बोर्डों परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिये खुली होंगी। या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त प्रतिकर प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हों।	निरंक
9.	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	शासन आदेश के अनुरूप।
10.	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक जिसके अंतर्गत प्रतिकर प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो।	निरंक
11.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपारेटों की विषिष्टियाँ उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	जिले के अंतर्गत चल रहे समस्त निर्माणकार्यों का संविदाकार को आवंटित बजट अनुसार उनके द्वारा किये गये कार्य का भुगतान, अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं कार्यालयीन व्यय।
12.	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं	निरंक
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राप्तिकर्ताओं की विषिष्टियाँ	आवेदक द्वारा जो भी जानकारी चाही जाती है, आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत कार्यालय में उपलब्धता के आधार पर यथा समय उपलब्ध करा दी जाती है।

14.	किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या धारित हों।	निरंक
15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विषिष्टियाँ जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो, कार्यकरण के घंटे सम्मिलित है	कार्यालयीन समय में।
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विषिष्टियाँ	श्री के.के. लच्छे-संभागीय परियोजना यंत्री
17.	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये	निरंक

संभागीय परियोजना यंत्री,  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,  
लोक निर्माण विभाग, संभाग विदिशा